

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 439] No. 439] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/आषाढ़ 3, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASHADHA 3, 1938

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2016

सा.का.नि. 629(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203 (अ), तारीख 29 फरवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 29 फरवरी, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सातवॉ संशोधन) नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3178 GI/2016 (1)

- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 115घ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-"115.घ : यानों में संकर विद्युत प्रणाली या विद्युत किट का रिट्रोफिटमेंट –
- (1) 3500 कि.ग्रा. से अनिधक सकल यान भार वाले यानों हैं संकर विद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट अनुज्ञात किया जाएगा यदि –
  - (क) रिट्रोफिटमेंट फिट में आशयित यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है, अर्थात् :-
    - (i) यह भारत स्टेज ।। या पश्चातवर्ती उत्सर्जन मानकों के अनुरुप होंगे ;
    - (ii) यह वर्ग एम 1 या वर्ग एम 2 या वर्ग एन 1 के होंगे, जिनमें सकलयान भार 3500 कि.ग्रा. से अनिधक होगा ;
    - (iii) इनमें या तो गैसोलिन या डीजल इंजन का उपयोग किया जाएगा;
    - (iv) इन्हें पूर्व में रिट्रोफिट नहीं किया गया था; और
    - (v) इनमें किसी अन्य वैकल्पिक इंधन का उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (ख) रिट्रोफिट किए गए यानों में बहुउत्सर्जन मानक तत्स्थानी पैट्रोल या डीजल यानों में प्रचलित के समान ही होंगे जैसे कि उक्त यानों के विनिर्माण के वर्ष को लागू होते हैं;
- (ग) रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् यान समय समय पर यथासंशोधित एआईएस-123 (भाग 1):2013 की अपेक्षाओं को उस समय तक पूरा करेंगे जिस समय तक तत्स्थानी भारत मानक ब्यूरो विनिर्देशों को भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

परंतु संकर विद्युत प्रणाली किट अनुमोदन के प्रयोजन के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता नियम, 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता उसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी ;

- (घ) अनुमोदित संकर विद्युत प्रणाली किट की किस्म का प्रतिष्ठापन संकर विद्युत प्रणाली किट के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रतिष्ठापक द्वारा ही किया जाएगा और प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक के दायित्वों तथा समय समय पर यथासंशोधित एआईएस- 123 (भाग-1) : 2013 में दी गई आचार संहिता का तब तक पालन करेगा जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।
- (ड.) यान का विनिर्माण, प्रोटोटाइप रिट्रोफिटिड यान के विनिर्माण की अवधि में किया जाता है, जिस पर किट परीक्षित, प्रकार अनुमोदित की गई है और लागू उत्सर्जन सन्नियमों की विधिमान्यता यानों के ऐसे वर्ग के लिए विहित की गई है:

परंतु संकर विद्युत प्रणाली किट के साथ रिट्रोफिट किए गए यान का उत्तरदायित्व, शून्य किलोमीटर फिटमैंट की दशा में, के सिवाय, ओईएम से विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को किट रिट्रोफिटमेंट द्वारा जोड़े गए या प्रभावित पुर्जों के लिए अंतरित किया जाएगा ।

- (2) 3500 कि.ग्रा. से अधिक सकल यान भार वाले यानों में संकर विद्युत प्रणाली किट का रिट्रोफिटमेंट अनुज्ञात किया जाएगा यदि –
- (क) रिट्रोफिटमेंट फिट में आशयित यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है, अर्थात् :-

- (i) यह भारत स्टेज ।। या पश्चातवर्ती उत्सर्जन मानकों के अनुरुप होंगे ;
- (ii) यह वर्ग एम और एन के होंगे, जिनमें सकलयान भार 3500 कि.ग्रा. से अधिक होगा ;
- (iii) इन्हें पूर्व में रिट्रोफिट नहीं किया गया था;
- (iv) इसमें केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में यथापरिभाषित खतरनाक या परिसंकटमय माल ले जाने हेतु अनुज्ञेय पत्र की व्यवस्था नहीं है ;
- (ख) रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् यान समय समय पर यथासंशोधित एआईएस-123 (भाग 2):2016 की अपेक्षाओं को उस समय तक पूरा करेंगे जिस समय तक तत्स्थानी भारत मानक ब्यूरो विनिर्देशों को भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अधीन अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है;

परंतु संकर विद्युत प्रणाली किट अनुमोदन के प्रयोजन के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता नियम, 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण से अनुमोदित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता उसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी ;

- (ग) अनुमोदित संकर विद्युत प्रणाली किट की किस्म का प्रतिष्ठापन संकर विद्युत प्रणाली किट के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रतिष्ठापक द्वारा ही किया जाएगा और प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापक के दायित्वों तथा समय समय पर यथासंशोधित एआईएस- 123 (भाग-2) : 2016 में दी गई आचार संहिता का तब तक पालन करेगा जब तक कि तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दी जाती है :
- (घ) यान का विनिर्माण, प्रोटोटाइप रिट्रोफिटिड यान के विनिर्माण के वर्ष के पश्चात किया जाता है, जिस पर किट परीक्षित, प्रकार अनुमोदित की गई है:

परंतु संकर विद्युत प्रणाली किट के साथ रिट्रोफिट किए गए यान का उत्तरदायित्व, शून्य किलोमीटर फिटमैंट की दशा में, के सिवाय, ओईएम से विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को किट रिट्रोफिटमेंट द्वारा जोड़े गए या प्रभावित पुर्जों के लिए अंतरित किया जाएगा।

- (3) विद्युत किट फिट करने के साथ शुद्ध विद्युत प्रचालन के लिए यानों का परिवर्तन अनुज्ञात किया जाएगा, यदि --
- (क) परिवर्तन के लिए आशयित यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है, अर्थात् :-
- (i) वह वर्ग एल 5 या वर्ग एम या वर्ग एन 1 या वर्ग एन 2 का है :
- (ii) उसका विनिर्माण 1 जनवरी, 1990 को या उसके पश्चात् किया गया था;
- (iii) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में यथापरिभाषित खतरनाक या परिसंकटमय माल का वहन करने के लिए उसको अनुज्ञा पत्र प्रदान नहीं किया गया है;
- (ख) यान, रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस- 123 (भाग-3) : 2016, की अपेक्षा को तब तक पूरी करेगा जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं :

परंतु विद्युत किट अनुमोदन के प्रयोजन के लिए, किट विनिर्माता या प्रदायकर्ता नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण से प्रकार अनुमोदन प्रमाणत्र अभिप्राप्त करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता उसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष होगी ;

- (ग) प्रकार अनुमोदित विद्युत किट का प्रतिष्ठापन, विद्युत किट विनिर्माता या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत केवल किसी प्रतिष्ठापनकर्ता द्वारा किया जाएगा और प्रतिष्ठापनकर्ता, ऐसे समय जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिदेश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस- 123 (भाग-3) :2016 में वर्णित प्रतिष्ठापनकर्ता के उत्तरदायित्वों और व्यवसाय की संहिता का पालन करेगा:
- (घ) यान का विनिर्माण, प्रोटोटाइप रिट्रोफिटिड यान के विनिर्माण के वर्ष के पश्चात किया जाता है, जिस पर किट परीक्षित, प्रकार अनुमोदित की गई है:

परंतु विद्युत नोदन किट के साथ परिवर्तित किए गए यान का उत्तरदायित्व, शून्य किलोमीटर फिटमैंट की दशा में, के सिवाय, ओईएम से विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को विद्युत नोदन किट द्वारा जोड़े गए या प्रभावित पुर्जों के लिए अंतरित किया जाएगा।

> [फा. सं. आरटी-11028/22/2015-एमवीएल] अभय दामले, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.िन. 594 (अ), तारीख 13.06.2016 को संशोधित किए गए।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2016

**G.S.R. 629(E).**—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 203 (E), dated the 29<sup>th</sup> February, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, subsection (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the  $29^{th}$  February, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for rule 115D, the following rule shall be substituted, namely:-

#### "115D: Retro-fitment of hybrid electric system or electric kit to vehicles.—

- (1) The Retro-fitment of hybrid electric system kit to vehicles having Gross Vehicle Weight not exceeding 3500 kg. shall be permitted if---
  - (a) the vehicle intended for retro-fitment complies with following conditions, namely:-
    - (i) it conforms to Bharat Stage-II or subsequent emission norms;
    - (ii) it belongs to category M1 or category M2 or category N1 with Gross Vehicle Weight not exceeding 3500 kg.;
    - (iii) it is fuelled by either gasoline or diesel fuel;
    - (iv) it was not retrofitted earlier;
    - (v) it shall not be fuelled by any other alternate fuel;
  - (b) the mass emission standards for vehicles so retrofitted shall be the same as prevalent for corresponding petrol or diesel vehicles as applicable for the year of manufacture of the said vehicle;
  - (c) the vehicle, after retro-fitment, shall meet the requirement of AIS-123 (Part 1): 2013 as amended from time to time till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):

Provided that for the purpose of hybrid electric system kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 and the validity of such certificate shall be three years from the date of its issue;

- (d) the installation of type approved hybrid electric system kit shall be done only by an installer authorised by the hybrid electric system kit manufacturer or supplier, and the installer shall adhere to the installer's responsibilities and the Code of Practice detailed in the AIS-123 (Part 1): 2013, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):
- (e) the vehicle is manufactured in the period of manufacture of the prototype retrofitted vehicle on which kit has been tested, type approved and the date of validity of applicable emission norms prescribed for such category of vehicles:

Provided that responsibility of vehicle retro-fitted with Hybrid Electric System Kit shall be transferred from OEM to kit manufacturer or supplier, for the parts added or affected by Hybrid Electric System kit retro-fitment, except in case of zero kilometer fitment.

- (2) The Retro-fitment of hybrid electric system kit to vehicles having Gross Vehicle Weight exceeding 3500 kg. shall be permitted if---
  - (a) the vehicle intended for retro-fitment complies with following conditions, namely:-
    - (i) it conforms to Bharat Stage-II or subsequent emission norms;
    - (ii) it belongs to category M & N with Gross Vehicle Weight exceeding 3500 kg.;
    - (iii) it was not retrofitted earlier;
    - (iv) it is not provided with permits for carrying dangerous or hazardous good, as defined in Central Motor Vehicle Rules, 1989;
  - (b) the vehicle, after retro-fitment, shall meet the requirement of AIS-123 (Part 2): 2016, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act. 1986 (63 of 1986):

Provided that for the purpose of hybrid electric system kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 and the validity of such certificate shall be three years from the date of its issue;

- (c) the installation of type approved hybrid electric system kit shall be done only by an installer authorised by the hybrid electric system kit manufacturer or supplier, and the installer shall adhere to the installer's responsibilities and the Code of Practice detailed in the AIS-123 (Part 2): 2016, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).
- (d) The vehicle is manufactured after the year of manufacture of the prototype retrofitted vehicle on which such kit has been tested and type approved.

Provided that responsibility of vehicle retro-fitted with Hybrid Electric System Kit shall be transferred from OEM to kit manufacturer or supplier, for the parts added or affected by Hybrid Electric System kit retro-fitment, except in case of zero kilometer fitment.

- (3) The conversion of vehicles for pure electric operation with fitment of electric kit shall be permitted if-
  - (a) The vehicle intended for conversion complies with following conditions, namely:-
    - (i) It belongs to category L5 or category M or category N1 or category N2;
    - (ii) It was manufactured on or after 1<sup>st</sup> January 1990;
    - (iii) It is not provided with permits for carrying dangerous or hazardous goods, as defined in CMV Rules, 1989;
  - (b) the vehicle, after retro-fitment, shall meet the requirement of AIS-123 (Part 3): 2016, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standard specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act. 1986 (63 of 1986):

Provided that for the purpose of electric kit approval, kit manufacturer or supplier shall obtain the type approval certificate from a test agency specified in rule 126 and the validity of such certificate shall be three years from the date of its issue;

- (c) the installation of type approved electric kit shall be done only by an installer authorised by the electric kit manufacturer or supplier, and the installer shall adhere to the installer's responsibilities and the Code of Practice detailed in the AIS-123 (Part 3): 2016, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986):
- (d) the vehicle is manufactured after the year of manufacture of the prototype converted vehicle on which such kit has been tested and type approved.

Provided that the responsibility of vehicle converted with Electric Propulsion Kit shall be transferred from OEM to kit manufacturer / supplier for the parts added or affected by Electric Propulsion Kit, except in case of zero kilometer fitment."

[F. No. RT-11028/22/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2<sup>nd</sup>June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 594(E) dated 13.06.2016.